अतः वाद को समाप्त करने की कृपा करें।

इसके पश्चात अधिवक्ता ने अपने तर्क प्रस्तुत किए कि अभियुक्त द्वारा 177 [illegible] के अन्तर्गत पेश किया कि अभियोजन द्वारा किसी भी कारण कथन बढ़ाने के अतिरिक्त के अतिरिक्त [illegible] लिया है अतः सभी रिपोर्ट तकनीकी आधार पर [illegible] हुई। अभियोजन ने अधिक तर्क देते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया कि आवेदन 293/0-15 [illegible] गुरुता का सीमा कथन हेतु प्रार्थना पत्र आनलाइन पेश किया गया था। आनलाइन पेश पर पत्रावली आनलाइन दाखिल की सीमा कथन की कार्यवाही किया जाना बताया जाता है अतः लोकहित धारा 177 RT Act पर कार्यवाही किया उचित नहीं है।

अतः अभियोजन द्वारा सीमा कथन कार्यवाही आनलाइन देने के कारण धारा 177 RT Act की कार्यवाही का लंबित होना तथा तकनीकी आधार का पालन हेतु निवेदन पत्र पत्रावली वापस लेकर सुधार के साथ दाखिल प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान करें।